

अल फारुक इण्टर कालेज

(अमौना इटवा जिला सिद्धार्थनगर)

संस्था के कर्मचारियों के बच्चों को प्रवेश व शिक्षण शुल्क
में दिये जाने वाले छूट संबंधी नियमावली
स्वयं के बच्चे होने पर

- यदि एक बच्चा स्वयं का प्रवेश लेता है तो उसको प्रवेश शुल्क 50 प्रतिशत देय होगा।
- यदि एक के अलावा जितने भी बच्चे प्रवेश लेते हैं तो वार्षिक शुल्क 100 प्रतिशत देय होगा और नये प्रवेश के शुल्क में 50 प्रतिशत देय होगा तथा शिक्षण शुल्क 100 प्रतिशत माफ रहेगी।
- कक्षा 5 से 8 तक केवल छात्रों पर लगने वाले कम्प्युटर शुल्क TCF वाले बच्चे को छोड़कर अन्य सभी बच्चों पर देय होगा।
- ट्रांसपोर्ट शुल्क TCF बच्चे के अलावा अन्य सभी बच्चों पर चार्ट के अनुसार देय होगा।
- जो बच्चा TCF होगा वह किसी भी दशा में बदला नहीं जाएगा जबतक कि वह बच्चा यहां के फारिंग या छोड़ न दे।

कर्मचारी के परिवार के बच्चे होने पर

- यदि स्वयं (कर्मचारी) का कोई बच्चा नहीं पढ़ रहा है तभी परिवार के अन्य बच्चों को छूट दिया जायेगा।
- भाई-बहन, भतीजा-भतीजी में से किसी एक की सभी शुल्क माफ रहेगी बाकी जितने भी सदस्य होंगे उनको सामान्य लोगों की तरह ही शुल्क ली जायेगी।

नोट:- अविवाहित अध्यापिका के भाई-बहन या भतीजा-भतीजी जिनको TCF/TC छूट मिली है उनके विवाह हो जाने के उपरान्त उनके (भाई-बहन, भतीजा-भतीजी) सभी शुल्क देय होंगे।